

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक
सर सुन्दर लाल हौस्पिटल
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.4.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि |
|---------|---|---------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | सुरेश प्रजापति पिता-बाबु चन्द्र प्रजापति ग्राम-भभुआ वार्ड नं०-15 पो०+थाना-भभुआ जिला-भभुआ, कैमुर एमआरडी-154423 | कैंसर रोग | ₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| 2 | हरेन्द्र मिश्रा पिता-पारस नाथ मिश्रा ग्राम-सोनहुला चन्द्रभान पो०-ढेबवा थाना-गोपालपुर जिला-गोपालगंज एमआरडी०-45159 | कैंसर रोग | ₹ 50,000 /--(पचास हजार) स्वीकृत। |
| 3 | ऋषिकेश पाण्डेय पिता-जनार्दन पाण्डेय ग्राम-पो०-मुकुन्दपुर थाना-घरपोखरी जिला-भोजपुर ओ.पी.डीनं०-50/16 | कैंसर रोग | ₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| 4 | अभिनन्दन पिता-गुड्डु प्रसाद ग्राम-मनकररीया गढवा टोला पो०-मनकररीया थाना-पहाड़पुर जिला-पूर्वी चम्पारण एम.आरडीनं०-124186 | कैंसर रोग | ₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत। |

29/1/16

| | | | |
|---|--|-----------|----------------------------------|
| 5 | हीरामुनी देवी पति-भगीरथ दुबे ग्राम-शहर मेदनी पो-बीसो डीहरी थाना-करगहर जिला-रोहतास ओपीडीनं-730/14 | कैंसर रोग | ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| | | | कुल ₹ 3,70,000/- |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,70,000/- (तीन लाख सतर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509366 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), खाता धारक का नाम- कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509366 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

631 (14)

पटना, दिनांक 03.05.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
११.५.१६

सं० सं० 14/एम 11-2/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एंड रिसर्च, चंडीगढ़ 160015

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.4.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि |
|---------|---|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ओंकार नाथ चौधरी पिता-स्व. सीता राम चौधरी ग्राम-गौतम नगर गंगजला वार्ड नं-11, पो०+थाना+जिला-सहरसा सी.आर.नं०-69382 | गुर्दा प्रत्यारोपण | ₹ 2,00,000 /-(दो लाख) स्वीकृत। |
| 2 | बैजन्ती देवी पति-थलेश्वर सिंह ग्राम+पो०-मुंजी थाना-कराकाट जिला-रोहतास सी.आर.नं०-201601630131 | हृदय रोग | ₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस) स्वीकृत। |
| 3 | राजेश कुमार पिता-रामगती राय ग्राम-अमनाबाद पो०-कटेसर थाना-बिहटा जिला-पटना सी.आर.नं०-201404962271 | गुर्दा प्रत्यारोपण रोग | ₹ 2,00,000 /-(दो लाख) स्वीकृत। |
| 4 | रविन्द्र सिंह पिता-परमानन्द सिंह ग्राम-ठाकुरगंज फाड़ाबाड़ी पो०-थाना-ठाकुरगंज जिला-किशनगंज सी.आर.नं० 201505627239 | गुर्दा प्रत्यारोपण रोग | ₹ 2,00,000 /-(दो लाख) स्वीकृत। |
| | | | कुल ₹ 7,25,000 /- |

(Handwritten signature)
29/4/16

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,25,000/-(सात लाख पच्चीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509364 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10413583830 खाता धारक का नाम-"डायरेक्टर,पी०जी०आई० प्राइवेट ग्रान्ट ए०/सी० " खाते का प्रकार- चालु बैंक का नाम- एस० बी० आई०, शाखा का नाम- मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड सं० 01524 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- 5 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509364 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

618 (14)

पटना, दिनांक 03.05.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.6.16